न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 153/2016

अनवान :

1. भरत कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतीष कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. हुकमा पुत्र रतिराम जाति जाट भाम्भू निवासी नुआं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
2. महेन्द्र पुत्र हुकमा जाति जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल : **प्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 3.1.19

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 298/260 के खसरा सं0 09 तादादी 1.606 है0 बारानी खसरा सं0 51 तादादी 1.809 है0 बारानी कुल 3.415 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें से प्रतिवादी हुकमा के नाम 3.288 है0 खातेदारी दर्ज है।

हुकमाराम के 2 पुत्र प्रताप व महेन्द्र उत्पन्न हुए जिसमें से प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। वादी भरत कुमार व सतीष कुमार प्रताप के पुत्रान है एवं रितू प्रताप की पत्नी है। इसके अलावा हुकमा के चार लडकियां सावित्री, शारदा, सन्तो, बाला ओर है जो अपने ससूराल रहती है।

वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। कृषि भूमि प्रतिवादी हुकमा के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज है। वाद भूमि 3.288 है0 में वादी भरत कुमार का 1/6 हिस्सा, वादी सतीष कुमार का 1/6 हिस्सा एवं महेन्द्र का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी हुकमा का 1/6 हिस्सा है। परन्तु जमाबन्दी में कुल भूमि तन्हा हुकमा के नाम कर्ता खातेदारी दर्ज है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जबाब पेश करने हेतु बार बार समय दिया गया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

है। अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं होने के उपरान्त वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने हिदायत पैरवी से इन्कार किया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 रितु पत्नी प्रताप, पीडब्ल्यु 2 मुंशीराम पुत्र फुलाराम व पीडब्ल्यु 3 कृष्ण कुमार के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम नुवां खाता सं0 298/260 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम नुवां खाता सं0 260/247 सम्वत् 2068 से 71 प्रदर्श 2, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम नुवा खाता स0 175/169 सम्वत् 2068 से 71 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 21.08.2008, वारिस प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई सम्पत्ति है। हुकमा की संतानों का दादालाई जमीन में जन्म से हक हिस्सा है। जमीन दादा हुकमा के नाम दर्ज है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा हुकमा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक संयुक्त सम्पत्ति होना अंकित किया है तथा अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम नुवां सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिससे रतु की कृषि भूमि उसके फौत होने के बाद हुक्मा व अन्य वारिसान के नाम विरासतन दर्ज होना स्पष्ट है किन्तु वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 से पुरानी पैत्रक कृषि भूमि का मिलान नहीं हो पाया है। इस कारण वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि है कि नहीं यह स्पष्ट नहीं है तथा वादीगण ने अपने दावा की मद सं0 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि हुकमा के दो पुत्र प्रताप व महेन्द्र उत्पन्न हुए जिसमें से प्रताप की मृत्यु हो चुकी है व वादीगण प्रताप के वारिसान है। इसके अलावा हुक्मा के 4 लडकियां सावित्री, शारदा, सन्तो, बाला है जिनका अपने–अपने ससुरा में रहने का अंकन किया है, परन्तु वादीगण ने इन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार वादीगण न्यायालय में साफ हाथों (क्लिन हैण्ड) नहीं आये है। जिस प्रकार वादीगण ने दावा के अनुतोष में वादी भरत कुमार का 1/6 हिस्सा, वादी सतीष कुमार का 1/6 हिस्सा एवं महेन्द्र का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी हुकमा का 1/6 हिस्सा होना अंकित किया है, वह किस आधार पर अधिकारी है स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने असफल रहे है।

अत : वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.19..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 153/2016

अनवान :

1. भरत कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतीष कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. हुकमा पुत्र रतिराम जाति जाट भाम्भू निवासी नुआं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
2. महेन्द्र पुत्र हुकमा जाति जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/1/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट-ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़